



UPKU040281922026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

पीठासीन अधिकारी- (राजन कुमार गोंड) (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP2148

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 3460/2026

सरकार-बनाम-प्रियंका भारती

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक: 12.08.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता **प्रियंका भारती** की ओर से मु०अ०सं०-70/2026, धारा-103(1), 3(5) BNS, थाना-कप्तानगंज, जनपद- कुशीनगर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्ता जेल में निरुद्ध है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थिनी निर्दोष हैं। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अतः जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्ता पर आरोपित अपराध माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्ता के जमानत हेतु पर्याप्त व उचित आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्ता उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कुशीनगर, स्थान-पडरौना।